(b) what steps have been taken to ensure that foreign banks functioned within the laws of the land ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY): (a) and (b) Foreign banks operating in India are governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, the RBI Act 1934, the Companies Act, 1956 and the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. Foreign banks, like Indian banks, are also required to company with the directives and guidelines issued by RBI on matters such as maintenance of CRR/SLR, interest rates, capital adequacy, income recognition, asset classification, provisioning for bad and doubtful debts, prudential norms on exposures to single and group borrowers and transparency in the balance sheet. In addition, specific guidelines are issued by RBI to foreign banks with regard to acquisition of immovable properties in India, engagement of expatriates, deployment of foreign funds in Indian business etc.

The Reserve Bank of India has taken several steps to tighten supervision and monitoring of all Banks including Foreign Banks, Reserve Bank of India has full authority to levy penalties for violation of regulations. As per recent amendments to Banking Regulation Act, the quantum of penalties has been enhanced substantially.

In 1992-93 RBI had carried out detailed special scrutiny of securities transactions undertaken during April, 1991 to June, 1992, for all the foreign banks operating in India. In addition, special audit of 4 major foreign banks viz. Citi Bank, Bank of America Sttndard Chartered Bank and ANZ Grindlays Bank was also got conducted. Deterrent action has also been taken against the scam affected foreigh banks. The main areas in which action has been taken are non-repatriation of profits, witholding of fresh branch licences, issue of show cause notices for monetary penalties aggregating Rs. 147 crores to 20 banks including 9 foreign banks and non-renewal of the terms of the Chief Executives in India of some of the defaulting banks. Erring foreign banks may also face penalties in their home countries.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

231. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, इन्दौर द्वारा मध्य प्रदेश में कितनी वस्त्र मिलों का संचालन किया जा रहा है और यह मिलें कौन-कौन सी हैं ;

(ख) इन मिलों में इस समय अलग-अलग कितना-कितना वास्तविक उत्पादन किया जा रहा है और इनकी क्षमता कितनी-कितनी है तथा क्या इनकी उत्पादन क्षमता से कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन मिलों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक इन मिलों के कितने श्रमिकों ने सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया है तथा इनमें से कितने श्रमिकों को इस योजना का पूरा लाभ दे दिया गया है और शेष मामलों की स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) एन०टी०सी० (एम०पी०) लि० के अधीन 7 मिलें हैं । इन मिलों के नामों, उनकी मौजूदा क्षमता, प्रतिशत क्षमता उपयोग तथा उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए) कम क्षमता उपयोग के फलस्वरूप कम उत्पादन होता है जिसका मुख्य कारण अन्य कारकों, जिनमें अप्रचलित मशीनें भी शामिल हैं, के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की कमी है ।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघों ने एन० टी सी (एम पी) लि० की मिलों सहित एन टी सी की मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए योजनायें बनाई थीं जिनमें 2005.72 करोड़ रु० का निवेश निहित है। श्रम मंत्रालय की एन०टी०सी० से संबंधित विशेष त्रिपक्षीय समिति ने यह सिफारिश की है कि एन टी सी मिलों के साथ-साथ उसकी अधिगृहीत मिलों को वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार आधुनिकीकरण से अर्थक्षम बनाया जा सकता है। बी०आई०एफ०आर० की स्वीकृति के लिए सरकारी दृष्टिकोण बनाने की कार्यवाही चल रही है ताकि सर्वांगीण सुधार योजना को क्रियान्वित किया जा सके।

(घ) 2 अगस्त, 1994 तक इन 7 मिलों से कुल 4196 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया है। इनमें से 4182 कामगारों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के पूरे लाभ दिए गए हैं जबकि 14 मामलों पर कार्यवाही चल रही है।

विवरण

क्र०सं०	मिल का नाम	मौजूदा क्षमता		(अप्रैल-जून, 94)			
		तकुये (स्थापित क्षमता)	करघे	क्षमता उपयोग प्र०श०		उत्पादन	
				कताई	बुनाई	यार्न लाख कि० ग्रा०	कपड़ा लाख मी०
1	इंदौर माल्वा यूनाइटिड मिल्स, इंदौर	20992	504	12.75	—	0.39	—
2	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	19888	340	—	—	—	—
3	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स, इंदौर	14000	108	4.56	—	0.09	—
4	हीरा मिल्स, उज्जैन	18000	220	36.32	—	0.93	—
5	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	7040	244	65.74	63.35	1.06	8.68
6	बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव	28232	568	26.93	27.32	1.54	11.87
7	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल	18600	200	14.79	33.63	0.47	1.60